भारत सरकार

Government of India

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health & Family Welfare

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली110029

Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New Delhi–110029

Office of Addl. Medical Superintendent (Dr. Charu Bamba)

Date :- 12.04.2025

OFFICE ORDER

The following committee is hereby constituted for medical examination of Shri Amarnath Ji Yatries for 2025.

S.No.	Name	Desgination / Department	Mobile Number
1.	Dr. Tanmaya Talukdar	Director Professor (Pulmonary Medicine)	9654166237
2.	Dr. Rajnish Kaushik	Assistant Professor (Pulmonary Medicine)	9868534807
3.	Dr. Ritu Gupta	Consultant (TB), Medicine	9352979266
4.	Dr. Vinay (April)	Senior Resident (Cardiology)	9460733029
5.	Dr. Anbhigya (May)	Senior Resident (Cardiology)	7376081644
6.	Dr. Chirag (June)	Senior Resident (Cardiology)	7089133333
7.	Dr. Saurabh (July)	Senior Resident (Cardiology)	7903935414

All the yatries will report to Screening (Evening) OPD, adjacent to Old SIC and in front of Main OPD Block. Timings of registration will be from **12:00 Noon onwards on Tuesdays and Thursdays** and **10:00 AM onwards on Saturdays.** Medical Board will physically examine the yatris from 01:30 PM to 03:30 PM on Tuesdays and Thursdays and 10:00 AM to 01:00 PM on Saturdays. All baseline investigations required for issuing of CHC would be carried out on all the days (Monday to Saturday) in Screening OPD.

The office of the Screening (Evening) OPD will maintain a separate register and give a separate serial number for yatries of this year. Nodal Officer (IT) is requested to allot Screening (Evening) OPD on every Tuesdays, Thursdays and Saturdays for medical examination of Shri Amarnath Ji Yatra for 2025.

Dr. Pankaj Ranjan is the Nodal Officer (Shri Amarnath Ji Yatra 2025) for issuing final Compulsory Health Certificate (CHC).

This is for strict compliance.

(Dr. Charu Bamba)
Addl. Medical Superintendent

To

- All above concerned officers through HODs

Copy to :-

- PS to MS
- PS to Principal, VMMC
- All Addl. MS (RPA, KK, CB, RT, YS)
- CMO In-charge (OPD) & Nodal Officer (Shri Amarnath Ji Yatra 2025)
- Nodal Officer (IT) – requested to upload it on the hospital website (Bilingual format)
- Hindi Section for Hindi Version
- **Standard Distribution**

भारत सरकार

Government of India

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health & Family Welfare

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली-110029

Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New Delhi–110029

अपर चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय (डॉ. चारू बाम्बा)

दिनांक :- 12.04.2025

कार्यालय आदेश

2025 के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रियों की चिकित्सा जांच के लिए निम्नलिखित समिति गठित की जाती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / विभाग	मोबाइल नंबर
1.	डॉ. तन्मय तालुकदार	निदेशक आचार्य (पल्मोनरी मेडिसिन)	9654166237
2.	डॉ. रजनीश कौशिक	सहायक आचार्य (पल्मोनरी मेडिसिन)	9868534807
3.	डॉ. रितु गुप्ता	परामर्शदाता (टीबी), मेडिसिन	9352979266
4.	डॉ. विनय (अप्रैल)	वरिष्ठ निवासी (कार्डियोलोजी)	9460733029
5.	डॉ. अनभिज्ञ (मई)	वरिष्ठ निवासी (कार्डियोलोजी)	7376081644
6.	डॉ. चिराग (जून)	वरिष्ठ निवासी (कार्डियोलोजी)	7089133333
7.	डॉ. सौरभ (जुलाई)	वरिष्ठ निवासी (कार्डियोलोजी)	7903935414

सभी यात्री स्क्रीनिंग (शाम) ओपीडी में रिपोर्ट करेंगे, जो पुराने एसआईसी के निकट और मुख्य ओपीडी ब्लॉक के सामने है। पंजीकरण का समय मंगलवार और गुरुवार को दोपहर 12:00 बजे से और शनिवार को सुबह 10:00 बजे से होगा। मेडिकल बोर्ड मंगलवार और गुरुवार को दोपहर 01:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक और शनिवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक यात्रियों की शारीरिक जांच करेगा। सीएचसी जारी करने के लिए आवश्यक सभी आधारभूत जांच स्क्रीनिंग ओपीडी में सभी दिनों (सोमवार से शनिवार) को की जाएगी।

स्क्रीनिंग (शाम) ओपीडी का कार्यालय एक अलग रजिस्टर बनाएगा और इस वर्ष के यात्रियों के लिए एक अलग सीरियल नंबर देगा। नोडल अधिकारी (आईटी) से अनुरोध है कि वे 2025 के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा की चिकित्सा जांच के लिए हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को स्क्रीनिंग (शाम) ओपीडी आवंटित करें।

डॉ. पंकज रंजन अंतिम अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (सीएचसी) जारी करने के लिए नोडल अधिकारी (श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025) हैं।

यह सख्त अनुपालन हेतु है।

(डॉ. चारु बाम्बा)
अपर चिकित्सा अधीक्षक

सेवा में,

- विभागाध्यक्ष के माध्यम से उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि :-

- चिकित्सा अधीक्षक के निजी सचिव
- प्राचार्य, वीएमएमसी के निजी सचिव
- सभी अपर चिकित्सा अधीक्षक (आरपीए, केके, सीबी, आरटी, वाईएस)
- प्रभारी अधिकारी (ओपीडी) एवं नोडल अधिकारी (श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025)
- नोडल अधिकारी (आईटी) - अनुरोध है कि इसे अस्पताल की वेबसाइट पर अपलोड करें (द्विभाषी प्रारूप)
- मानक वितरण